हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा/माह का आयोजन

I. हिंदी दिवस

संविधान निर्माताओं ने 14 सितम्बर, 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में सर्वसम्मति से स्वीकार किया था। तदनुसार इस दिन की याद में प्रतिवर्ष 14 सितम्बर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजभाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस समारोह में राजभाषा के प्रयोग में सर्वश्रेष्ठ प्रगति हासिल करने वाले मंत्रालयों/विभागों/ कार्यालयों/बैंकों एवं उपक्रमों को, तथा हिंदी में उच्च कोटि के मौलिक पुस्तक लेखन तथा उत्कृष्ट लेखों हेतु पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार हिन्दी दिवस समारोह 1953 से संभवत: हर वर्ष मनाया जा रहा है।

कार्यक्रम के अवसर पर दिए जाने वाले पुरस्कार

सरकार की नीति के अनुसार सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी का प्रयोग प्रेरणा, प्रोत्साहन एव सद्भावना से बढ़ाया जाना है। इस परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा अनेक प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गई हैं। विभाग की प्रमुख योजनाएं जिनके तहत हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर पुरस्कार दिए जाते हैं, इस प्रकार हैं :-

राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाने वाले पुरस्कार

राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना

इस योजना के अंतर्गत राजभाषा नीति के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप राजभाषा के प्रयोग में बेहतर प्रगति दर्ज करने वाले मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बोर्डों/स्वायत्त निकायों, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को पुरस्कार स्वरूप राजभाषा शील्ड देकर सम्मानित किया जाता है। पुरस्कारों के लिए मूल्यांकन सचिव, राजभाषा विभाग के अनुमोदन से गठित एक समिति द्वारा किया जाता है जिसमें विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्य भी शामिल किए जाते हैं।

श्रेणी	विवरण	पुरस्कार
मंत्रालय/विभाग	300 से कम स्टाफ संख्या वाले मंत्रालय 300 से अधिक स्टाफ संख्या वाले मंत्रालय	03 शील्डें 03 शील्डें
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	क क्षेत्र में स्थित उपक्रम ख क्षेत्र में स्थित उपक्रम ग क्षेत्र में स्थित उपक्रम	03 शील्डें 03 शील्डें 03 शील्डें
बोर्ड, स्वायत्त निकाय, ट्रस्ट आदि	क क्षेत्र में स्थित बोर्ड आदि ख क्षेत्र में स्थित बोर्ड आदि ग क्षेत्र में स्थित बोर्ड आदि	03 शील्डें 03 शील्डें 03 शील्डें
राष्ट्रीयकृत बैंक	क , ख तथा ग क्षेत्र के लिए प्रथम तथा द्वितीय पुरस्कार	06 शील्डें
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति	क, ख तथा ग क्षेत्र में स्थित न.रा.का.स. को एक-एक पुरस्कार	03 शील्डें
गृह पत्रिका	क, ख तथा ग क्षेत्रों के लिए प्रथम तथा द्वितीय पुरस्कार	06 शील्डें

उपरोक्त राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना के ब्यौरे के लिए योजना का संकल्प (सं. 11034/48/2014-रा.भा.(नीति) दिनांक 25-03-2015) देखें ।

राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना

(i) राजभाषा गौरव मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना (केंद्र सरकार के कार्मिकों के लिए)

केंद्रीय सरकार में सेवारत या सेवानिवृत्त कार्मिकों को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। पुरस्कारों के लिए मूल्यांकन सचिव, राजभाषा विभाग के अनुमोदन से गठित एक समिति द्वारा किया जाता है जिसमें विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्य/ विद्वान भी शामिल किए जाते हैं। पुस्तक लेखन पुरस्कार की राशि निम्न प्रकार है :

प्रथम पुरस्कार	:	1,00,000 रू., प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
द्‌वितीय पुरस्कार	:	75,000 रू., प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
तृतीय पुरस्कार	:	60,000 रू., प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
प्रोत्साहन पुरस्कार	:	30,000 रू., प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न

(ii) राजभाषा गौरव ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना (सभी नागरिकों के लिए)

यह योजना आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की विभिन्न विधाओं पर हिंदी में मौलिक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना में देश का कोई भी नागरिक भाग ले सकता है। पुरस्कारों के लिए मूल्यांकन सचिव, राजभाषा विभाग के अनुमोदन से गठित एक समिति द्‌वारा किया जाता है जिसमें विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्य/ विद्‌वान भी शामिल किए जाते हैं। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित राशियों के 13 नगद पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान है :

प्रथम पुरस्कार (एक)	दो लाख रू0, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
द्‌वितीय पुरस्कार (एक)	एक लाख पच्चीस हजार रू0, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
तृतीय पुरस्कार (एक)	पचहत्तर हजार रू0, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
प्रोत्साहन पुरस्कार(दस)	दस हजार रू0, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न प्रत्येक को

iii) राजभाषा गौरव उत्कृष्ट लेखों के लिए पुरस्कार योजना (केंद्र सरकार के कार्मिकों के लिए)

केन्द्र की नीति के अनुसार सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी का प्रयोग प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गई हैं । इसी के अंतर्गत केन्द्र सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों द्‌वारा पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट लेखों के लेखकों हेतु एक पुरस्कार योजना शुरू की गई है । इस योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट लेख के लेखकों को दो वर्गों, हिंदी और हिंदीत्तर, में तीन-तीन पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। हिंदी भाषी लेखकों को क्रमश: 20,000 रुपये, 18,000 रुपये एवं 15,000 रुपये तथा हिंदीत्तर भाषी लेखकों को 25,000 रुपये, 22,000 रुपये एवं 20,000 रुपये नकद राशि का पुरस्कार दिया जाता है ।

उपरोक्त राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के ब्यौरे के लिए योजना का संकल्प (सं. 11034/48/2014-रा.भा.(नीति) दिनांक 25-03-2015) देखें ।

II. हिंदी पखवाड़ा/माह का आयोजन

केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभागों/कार्यालयों आदि में राजभाषा कार्यान्वयन को गति देने के लिए तथा इस संबंध में अधिकारियों/कर्मचारियों तक वांछित एवं सकारात्मक संदेश पहुंचाने के लिए प्रत्येक वर्ष सितम्बर माह के दौरान हिंदी सप्ताह/पखवाड़ा/माह का आयोजन किया जाता है । इसमें सभी मंत्रालय/विभाग हिंदी टिप्पण एवं आलेख लेखन, हिंदी निबंध लेखन, हिंदी कविता पाठ, हिंदी अनुवाद, वाद-विवाद एवं भाषण, अंत्याक्षरी जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं । राजभाषा विभाग का मत है कि प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के दौरान एक ही पैटर्न पर आधारित कार्क्रमों को दोहराने की बजाए, राजभाषा कार्यान्वयन देख रहे कार्यालय प्रमुख/संयुक्त सचिव या उच्च स्तर के अधिकारी अपने कार्यालय/विभाग की विशिष्ट परिस्थितियां के परिप्रेक्ष्य में आयोजन को हिंदी प्रयोग अपनाने की दिशा में प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक गतिविधियों के बारे में गहन विचार कर सकते हैं ।

हिंदी सप्ताह/पखवाड़ा/माह के दौरान दिए जाने वाले पुरस्कार संबंधी निर्णय विभिन्न मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा ही किया जाता है और आयोजन पर व्यय विभिन्न मंत्रालय/विभाग/कार्यालय स्वयं वहन करते हैं ।

मुख्य पृष्ठ